

12

विनाई फर्जी पट्टा प्रकरण के संबंध में प्रभावी अधिकांशी नियुक्त किया गया है। उक्त फर्जी पट्टे में तर्क दिया कि निगरानीकर्ता विकास अधिकांशी पंचायत समिति खण्डार के पद पर नियुक्त है वकील निगरानीकर्ता द्वारा बहस के दौरान निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बहस प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का पत्रांक 2024/212 दिनांक 07.06.2024 प्राप्त हुआ। उपस्थित आहे। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अपाणी संख्या 1 जसिके अधीनस्थ न्यायालय की निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रार की जाकर अपाणीग्राम को तलबी जसिके समान की संख्या 13 आदेश दिनांक 21.11.2017 को निरस्त करमाये जाने का निवेदन किया गया है।

पट्टा जारी करने के कारण ग्राम पंचायत गोटडा द्वारा जारी फर्जी तथ्यों से जारी पट्टा विलेख संख्या 13 फूसला दिनांक 21.11.2017 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में और कानूनी विधि विरुद्ध मिलकर राज्य सरकार की बेस कीमती भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर फर्जी तथ्यों से पट्टा संख्या 13 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 1 से तहत ग्राम पंचायत गोटडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2017 के द्वारा जारी पट्टा विलेख निगरानीकर्ता ने यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के

दिनांक 23.02.2026

निर्णय

श्री रमेश चन्द गोयल एडवोकेट विपक्षी संख्या 1 की ओर से।

उपस्थित - श्री तौकीक अहमद एडवोकेट निगरानीकर्ता की ओर से।

विपक्षीग्राम

4. उप पंचायक तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर।

माधोपुर

3. सचिव, ग्राम विकास अधिकांशी ग्राम पंचायत गोटडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई

2. सचिव, ग्राम पंचायत गोटडा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर

1. इन्डजील जाट पुत्र देवीराम जाट निवासी ग्राम गोटडा तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

निगरानीकर्ता

विकास अधिकांशी पंचायत समिति, खण्डार जिला सवाई माधोपुर



तारीख रज 31.07.2023

निगरानी संख्या 0/2023

जी०सी०एम०एस० संख्या 2023/80

पीठासीन अधिकांशी - संजय शर्मा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अति. निम्न कर्तव्य
सवाई माधोपुर

2/2

के बारे में माननीय जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर को दिनांक 20.10.2020 को शिकायत प्राप्त होने पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 21.10.2020 को विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार को उक्त कर्मी पट्टा प्रकरण की जांच कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित करने पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दिनांक 28.12.2020 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट पेश होने पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 28.06.21 को तीन सदस्यी जांच कमिटी गठित की गई जांच कमिटी द्वारा दिनांक 19.08.21 को पेश की गई जांच रिपोर्ट में उक्त शिकायत सही पाई गई तथा जांच की जांच पट्टे कर्मी तरीके से जांच किया जाना पाया गया। यह कि विपक्षी संख्या 2 व 3 ने विपक्षी संख्या 1 से मिलकर राज सरकार की बस कीमती भूमि पर नियमों के विरुद्ध जाकर कर्मी तरीके से पट्टा संख्या 13 फसला दिनांक 21.11.17 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में गैर कानूनी विधि विरुद्ध व असत्य तथ्यों के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने समय उचित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। उक्त कर्मी तरीको से जांच किया गया पट्टा की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत गौडजा में नहीं पाई गई और उक्त पट्टे के संबंध में नियमानुसार पट्टे की तीन प्रतियां (जिसमें एक पट्टेधारी के पास, दूसरी ग्राम पंचायत व तीसरी पंचायत समिति में) भी नहीं बनाई गई है। उक्त पट्टे के संबंध में कोई प्रति ग्राम पंचायत गौडजा व पंचायत समिति खण्डार में जमा नहीं है। उक्त विवादाित पट्टा जारी करने समय विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने आपसी जमा नहीं है। उक्त विवादाित पट्टा जारी करने समय विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने आपसी समय ग्राम पंचायत के कोरम में एक प्रस्ताव लिया जाता है जिसके संदर्भ में जांच करते समय पंचायत के संकल्प संख्या 1(11) का उल्लेख किया गया है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत गौडजा में कोई रिकार्ड नहीं है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त संकल्प संख्या व दिनांक पट्टे पर कर्मी तरीके से अधिकृत किया गया है। उक्त विवादाित का बेचान कर्मी पट्टे के मद नं० 2 के अनुसार आपसी बातचीत पर बेचान बतयाया गया है जबकि पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राइवेट बातचीत के द्वारा विक्रय तब ही कर सकती जब उक्त भूमि के विक्रय करते समय नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती जबकि उक्त प्रकरण में उक्त विवादाित कर्मी तरीके से बेचान की कोई प्रक्रिया ही नहीं अपनाई गई और ना ही उक्त कर्मी तरीके से बेचान की प्रक्रिया ही नहीं अपनाई गई। उक्त विवादाित का बेचान कर्मी पट्टे के मूखल की वर्तमान बाजार दर से राशि प्राप्त की गई ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा समूह कर्मी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए कर्मी तरीके से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आदेश दिनांक 21.11.17 से पट्टा संख्या 13 जारी किया गया है जो निरस्त किया जाने योग्य है। उक्त विवादाित पट्टा में फसला दिनांक 21.11.17, पंचायत का संकल्प दिनांक 21.11.17 व भूमि बेचान राशि जमा कराने की दिनांक 21.11.17 एक ही समान है अर्थात विपक्षीगण द्वारा मिली भगत करके एक

आति. विना कलेक्टर
सवाई माधोपुर

12

पट्टे के क्षेत्राधिकार के संबंध में तर्क दिया कि उक्त पट्टे शुरू से ही अवैधानिक है इसलिए चुनौती दी जा सकती है जिसमें मियाद लागू नहीं होती है। वकील निगरानीकर्ता ने पंजीकृत गया। उक्त निगरानी मियाद बाहर होने के संबंध में तर्क दिया कि अवैधानिक आदेश को कभी भी खण्डार को उक्त निगरानी पेश करने हेतु जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत किया वकील निगरानीकर्ता ने प्रत्युत्तर बहस में तर्क दिया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति अन्य तथा RLR 1999(2) Sua Lal & ors. V/s State of Raj. & ors. पेश की।

न्यायालय की साइटेडेशन, 1999 DNU [Raj.] पृष्ठ संख्या 781 रामेश्वर बनम राजस्थान सरकार एवं जी खारिल किये जाने योग्य है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील अपाणी द्वारा माननीय उच्च बाद जिला कलेक्टर द्वारा जांच के आदेश दिये हैं। उक्त निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है वकील अपाणी संख्या 1 ने बहस में यह तर्क भी दिया कि उक्त पट्टा जारी होने के तीन वर्ष समिति खण्डार का उक्त प्रकार में किस प्रकार का हित है यह पत्रावली में उल्लिखित नहीं है। चलने योग्य नहीं है। वकील अपाणी संख्या 1 ने यह भी तर्क दिया कि विकास अधिकारी पंचायत खारिल करने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है उक्त निगरानी न्यायालय द्वारा में संख्या 1 द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि हमारे द्वारा प्राप्त पट्टा रजिस्टर्ड पट्टा है जिसमें विधिवत प्रकिया अपनायी गई है जिसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। वकील अपाणी उक्त नियमानुसार जारी पट्टे को कर्जी बताया गया है। जबकि उक्त पट्टा प्राप्त करने की लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। ग्राम पंचायत के कार्मिकों ने जानबूझकर पत्रावलियां गायब कर द्वारा निर्धारित की गई राशि जमा करवाई गई है। उक्त जमा राशि रिकार्ड में जमा नहीं करने के पट्टा प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। हमारे द्वारा ग्राम पंचायत करने के बाद नियमानुसार उप पंजीयक के यहां पट्टा पंजीकृत करवाया गया है। हमारे द्वारा उपरान्त हमारे द्वारा नियमानुसार निर्धारित फीस जमा करवाकर पट्टा प्राप्त किया है। पट्टा प्राप्त द्वारा विवाहित भूखण्ड का मौका मुआयना किया गया। मौका मुआयना करके कमेटी की रिपोर्ट के किये तथा उक्त संबंध में किसी की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी पंचायत में नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी कक्षा चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड का ग्राम पंचायत से पट्टा लेने के लिए हमारे द्वारा ग्राम वकील अपाणी संख्या 1 ने बहस में तर्क दिया कि उक्त विवाहित भूखण्ड पर हमारा पूर्व से फरमाई जावे।

पंचायत गौठडा द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 13 आदेश दिनांक 21.11.2017 को निरस्त फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में कर्जी तथेके से ग्राम के रास्त में विलम्ब का विन्दु बीच में नहीं आ सकता है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार तथेके से जारी किये गए हैं। ऐसे पट्टे को चुनौती का संधारण करते समय पुनरीक्षण प्राधिकारी पट्टे का कर्जी होना साबित होता है। उक्त विवाहित पट्टा छल, भ्रष्टाचार तथा अवैधानिक अधिकृत की गई है। उक्त विवाहित पट्टे पर मिसल संख्या व पट्टा संख्या भी समान है जिससे कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत गौठडा में नहीं है। इस कारण पट्टे पर सम्पूर्ण डूबारा कर्जी तथेके से ही दिन में पट्टे के अनुसार सम्पूर्ण प्रकिया को अपनाया गया है। तीनों ही प्रकिया के संबंध में

